न्यायालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवग
प्रकरण संख्या	:	18/2025 फौजदारी निगरानी (सीआईएस नंबर 45/2025)

विक्रम कुमार माहेश्वरी पुत्र श्रवण कुमार, निवासी राय कॉलोनी बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर

– निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बाड़मेर
2. स्तुती एन्टर प्राईजेज जरिये मालिक रजनी छन्नालाल पुत्र छन्नालाल शाह, जी 1001, श्रंगार रेजीडेन्सी, नंदनी 2 के पास बेसु सुरतसीटी, सुरत गुजरात

– उत्तरदातागण

फौजदारी निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397, 399, 401 सीआरपीसी विरुद्ध आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.08.2025 को सी.आर. नंबर 04/2023, पुलिस थाना साइबर बाड़मेर सरकार बनाम दीपक चौधरी वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थित :–

निगरानीकर्ता की ओर से	:	श्री अमृतलाल जैन, श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्तागण
उत्तरदाता सं. 1 की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक
उत्तरदाता सं. 2 की ओर से	:	श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता

आदेश **दिनांक : 30.04.2026**

1. हस्तगत निगरानी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर के द्वारा पुलिस थाना साईबर बाड़मेर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2023 में निगरानीकर्ता की ओर से धारा 452 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 06.08.2025 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर द्वारा निगरानीकर्ता प्रार्थी विक्रम कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 452 द.प्र.सं. वास्ते पाने सुपुर्दगीनामा पर रुपए 7,22,679/–

अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश पारित किया गया।

2. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका में यह निवेदन किया है कि परिवादी की भागीदारी की एक फर्म महेश एग्रो फुड इण्डस्ट्रीज बाड़मेर है, जिसमें परिवादी प्रार्थी ग्वार गम के एक्सपोर्ट का व्यापार करता है। भारत सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रोत्साहन स्कीम Remission of Duties or Taxes on Export Products Scheme दिनांक 17.8.2021 से लागू की गई है। परिवादी उनकी फर्म द्वारा उक्त योजना का लाभ लेने हेतु ICE GATE ID बनवाने हेतु अक्टुबर, 2022 में helpdesk@icegate.gov.in पर Online आवेदन किया, परंतु उक्त साईट पर एरर बताए जाने के कारण उस समय आईडी नहीं बना पाए, तत्पश्चात् दिनांक 16.02.2023 को जब परिवादी फर्म द्वारा पुनः लाभ लेने हेतु आवेदन करने का प्रयास किया, तब परिवादी फर्म को जानकारी मिली कि परिवादी फर्म को केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि हड़पने की बद्नियति से मुलजिमानों ने परिवादी फर्म के नाम से फर्जी मेल आईडी Mail Id Mahesh Foodago 18@gmial. Com. बनाकर ICE GATE PORTAL पर दिनांक 16.02.2023 को पंजीकृत करवाकर परिवादी फर्म को मिलने वाली अनुदान राशि की 59 स्क्रिप्ट में से अभियुक्तगण ने 50 स्क्रिप्ट की राशि 1 करोड़ 83 लाख 50 हजार 488 रुपए परिवादी फर्म के नाम से फर्जी ई स्क्रीप्ट खाते खोलकर उस खातों में ई स्क्रिप्ट से ice gate portal पर आई डी Mahesh Foodago 18 से जमा करवाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। ई स्क्रीप्ट खाते में जमा 50 स्क्रिप्ट में से अभियुक्तगण ने 36 रिक्रप्ट हर्ष ट्रैडिंग को तथा 14 स्क्रिप्ट लक्ष्मी ऑवरसीज को विक्रय की, जिसमें से हर्ष ट्रैडिंग ने 19 स्क्रिप्ट महाराजा टाईल्स (प्रा) लिमिटेड को 17 रिक्रप्ट राघवेन्द्र ग्राईनंस को विक्रय कर दी तथा लक्ष्मी ऑवरसीज ने 8 रिक्रप्ट ऑपस रिफाईनरी को तथा 6 स्क्रिप्ट ए जी गोल्ड को विक्रय कर दी। उक्त रिक्रप्ट विक्रय से प्राप्त राशि रुपए 1,83,50,488/– अभियुक्तगण ने अपने बैंक खाते में निम्नानुसार जमा कराए :–

(1.) के के इन्टर प्राईजेज मालिक कपिल गुप्ता खाता नंबर 50200058538696 एच डी एफ सी बैंक रुपए 1,05,61,631/–

(2) कपिल गुप्ता खाता संख्या 0993000102896049 रुपए 2,10,273/– पंजाब नेशनल बैंक

(3.) कपिल गुप्ता खाता नंबर 50100281869520 रुपए 2,31,821/– एच

डी एफ सी बैंक

(4.) रोहित कुमार सालु खाता नंबर 921010034535267 रुपए 2,41,816/— एक्सीस बैंक

(5.) स्तुती एन्टर प्राईजेज मालिक रजनी छनालाल शाह खाता संख्या 0000037084860501 रुपए 7,22,679/— स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(6.) सचिन गर्ग खाता संख्या 50100166445684 एच डी एफ सी बैंक रुपए 1,23,273/—

(7.) दीपक चौधरी खाता संख्या 711810110010887 बैंक ऑफ इण्डिया रुपए 4,62,548/—

(8.) शिव इन्टर प्राईजेज खात्ता संख्या 4729005500000370 पंजाब नेशनल बैंक रुपए 11,75,000/—

उक्त खातों में जमा राशि परिवादी की फर्म को निर्यात प्रोत्साहन स्कीम में प्राप्त स्क्रिप्ट से प्राप्त होना अनुसंधान पत्रावली में स्पष्ट है तथा इस अभियुक्तगण ने भी सहमति दी है। उक्त समस्त राशि जो परिवादी फर्म को भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उक्त योजना में प्राप्त होनी थी, मुलजिमानों द्वारा परिवादी फर्म के नाम से फर्म की फर्जी आईडी से पंजीकरण करवाकर ई स्क्रीप्ट फर्जी तरीके से खाता खोलकर उसमें जमा स्क्रिप्ट के विक्रय से उक्त राशि को प्राप्त कर उक्त वर्णित अलग—अलग खातों में ट्रांसफर किया गया है। इसकी जानकारी होने पर परिवादी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने परिवादी के तथ्यों की पुष्टि होने पर उपरोक्त वर्णित बैंक खाते फ्रीज करवा दिए। उक्त समस्त राशि परिवादी फर्म की है जो राशि भारत सरकार द्वारा परिवादी फर्म के उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योग संवर्धन के लिए देय थी। उक्त राशि से परिवादी फर्म द्वारा संचालित उद्योग का संवर्धन कर उद्योग को अधिक उत्पादक बनाया जाना था, लेकिन मुलजिमानों द्वारा उक्त प्रकार से फर्जी तरीके से परिवादी फर्म के नाम से फर्जी खाते फर्जी भागीदार बनकर फर्म की राशि को हड़प किया गया है, उक्त राशि को अगर उक्त प्रकरण के निस्तारण तक फ्रीज रखी जाती है तो परिवादी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा तथा वह अपनी फर्म के उद्योग में निर्यात की संवृद्धि नहीं कर सकेगा। स्वीकृत रूप से उक्त अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा परिवादी फर्म को ही अनुदान के रूप में जारी की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त राशि को सुपुदर्गीनामा पर

प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को अस्वीकार किया गया, जिस आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, बाड़मेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें से शेष अभियुक्तगण द्वारा तत्समय उक्त फ्रीज की गई राशि निगरानीकर्ता को देने बाबत सहमति दी गई थी, जिस पर उक्त फ्रीज की गई राशि निगरानीकर्ता को जरिये सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन तत्समय उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा सहमति नहीं देने के कारण उसके खाते में फ्रीज की गई राशि निगरानीकर्ता को नहीं दी गई। तत्पश्चात् उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा सहमति देने पर ही निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरदाता संख्या 2 के खाते में फ्रीज की गई राशि को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2025 को निगरानीकर्ता के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2025 को निरस्त फरमाया जाकर निगरानीकर्ता को उत्तरदाता संख्या 2 के खाते में फ्रीज की गई राशि 7,22,679/– रुपए को सुपुर्दनामा पर दिए जाने का आदेश फरमावें।

3. निगरानी याचिका पर उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

4. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में परिवादी/निगरानीकर्ता ने उनकी फर्म महेश एग्रो फुड इण्डस्ट्रीज बाड़मेर के द्वारा किए गए निर्यात पर भारत सरकार की निर्यात संवर्द्धन योजना के तहत Remission of Duties or Taxes on Export Products Scheme के तहत ICE GATE PORTAL पर पंजीकरण कराए जाने पर निर्यात की मात्रा पर अनुदान राशि के रूप में इलेक्ट्रोनिक स्क्रिप्ट के रूप में रिफण्ड क्रेडिट की जानी थी । परिवादी की फर्म के नाम से ICE GATE पर अभियुक्तगण द्वारा फर्जी आई.डी. बनाकर परिवादी फर्म की भागीदारी फर्म के स्वयं को भागीदार होना कथित कर में फर्जी ई स्क्रीप्ट खाता खोलकर उक्त निर्यात संवर्द्धन योजना के तहत फर्जी खोले खाते में

परिवादी के 50 स्क्रिप्ट क्रेडिट करवाकर उक्त स्क्रिप्ट के 1,83,50,468/– रुपए अभियुक्तगण के बैंक खाते में जमा होना अनुसंधान पत्रावली से प्रमाणित है। उनका यह भी तर्क रहा कि उक्त फ्रीज किए बैंक खातों में जमा राशि परिवादी फर्म के निर्यात की मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप जारी स्क्रिप्ट के विक्रय से प्राप्त राशि ही है। परिवादी की फर्म में परिवादी भागीदार है तथा इस फर्म से अभियुक्तगण का कोई संबंध नहीं है। अभियुक्तगण ने षड्यंत्रपूर्वक फर्जी आई.डी. बनाकर भ्रमित कर इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का दुरूपयोग से परिवादी की फर्म के खाते के स्क्रिप्ट प्राप्त कर इसका दुर्विनियोग कर पद संख्या 3 में वर्णित फ्रीज खातों में राशि जमा कराई है। इस राशि को प्राप्त करने का परिवादी फर्म को विधि सम्मत अधिकार है। फ्रीज किए खातों में जमा राशि खाताधारक अभियुक्तों की विधि सम्मत होने का कोई आधार ही नहीं है तथा न ही अभियुक्तगण द्वारा फ्रीज किए खातों में जमा राशि का क्लेम ही किया है। अभियुक्तगण ने तो फ्रीज किए खाते में जमा राशि परिवादी को दिए जाने में सहमति व्यक्त की है, इसके बावजूद पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित किया जाना न्याय सम्मत नहीं माना जा सकता है। उक्त प्रकरण में केन्द्र सरकार की निर्यात संवर्द्धन योजना से प्रोत्साहन/अनुदान के रूप में जारी 59 स्क्रिप्ट परिवादी की फर्म महेश एग्रो फुड इण्डस्ट्रीज के द्वारा किए गए निर्यात पर ही प्रोत्साहन के रूप में जारी किया जाना विवादित नहीं है, इसलिए उक्त प्रोत्साहन स्वरूप जारी स्क्रिप्ट से प्राप्त राशि प्राप्त करने का परिवादी फर्म का निर्विवाद अधिकार है, इसलिए अभियुक्तगण के हित प्रभावित होने का आधार उल्लेख कर अधीनस्थ न्यायालय का पुनरीक्षणाधीन आदेश विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण एवं परिवादी के मध्य समझौता (MOU) पेश हुआ, जिसमें अभियुक्तगण ने उक्त वर्णित अपने निजी एवं फर्म के खातों में फ्रीज राशि परिवादी को दिए जाने अथवा वसूली में सहयोग करने को सहमति देकर उक्त राशि परिवादी को दिए जाने में अनापत्ति होना स्वीकार किया है। इसी समझौता पत्र के आधार पर अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत भी दी गई थी। अभियुक्त की ओर से परिवादी के प्रार्थना–पत्र पर फ्रीज किए खाता धारक अभियुक्त ने परिवादी को फ्रीज राशि दिए जाने में अनापत्ति अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष भी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का फ्रीज राशि दिए जाने पर अन्य प्रभावित पक्षकार अभियुक्तगण के हितों पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का निष्कर्ष औचित्यपूर्ण एवं न्याय पूर्ण नहीं माना जा सकता। उनका यह भी तर्क रहा है कि स्वीकृति रूप से अभियुक्त के खाते से रुपए 7,22,679/— इस प्रकरण में संबंद्ध होना मानकर पुलिस द्वारा उसका खाता फ्रीज किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने रुपए 7,22,679/— उक्त राशि परिवादी को देने से स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अन्य सभी अभियुक्तगण की सहमति से पुलिस द्वारा फ्रीज राशि परिवादी को दिलाए जाने के आदेश पारित किए हैं, जिससे उक्त स्थिति भी भिन्न प्रकृति की नहीं है। परिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी द्वारा फ्रीज किए अभियुक्तगण के बैंक खातों में जमा राशि परिवादी की फर्म के निर्यात संवर्द्धन के लिए सरकार की योजना में प्राप्त स्क्रिप्ट के विक्रय से प्राप्त राशि ही होने से जमा राशि सुपुदर्गीनामा पर दिलाए जाने का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आईसीई गेट सरकारी विभाग तथा अनुसंधान अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। आईसीई गेट विभाग ने विवादित स्क्रिप्ट परिवादी की फर्म को जारी होने की पुष्टि कर फ्रीज राशि परिवादी को दिए जाने में आपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट की है तथा अनुसंधान अधिकारी ने भी परिवादी के अभिकथनों की पुष्टि की है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान् लोक अभियोजक ने निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. गैर—निगरानीकर्ता संख्या 2 के अधिवक्ता ने निगरानीकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध नहीं किया एवं उसके खाते में ट्रॉसफर की गयी राशि निगरानीकर्ता के पक्ष में रिलीज करने के आदेश देने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

7. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्को को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया, जिस पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि इस प्रकरण का उद्भव निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। निगरानीकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि महेश एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज के नाम से बाड़मेर में फर्म आयी हुई है, जिसका काम ग्वारगम का एक्सपोर्ट है तथा निगरानीकर्ता उस फर्म का भागीदार है। केन्द्र

सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु योजना बनाई, जिसका नाम Remission of Duties of Taxes on Export products Scheme है, जो दिनांक 17.08.2021 से लागू की गयी थी। उनकी फर्म द्वारा उक्त योजना का लाभ लेने हेतु ICEGATE ID बनाने हेतु अक्टूबर में Icegate helpdesk@icegate.gov.in पर ऑन लाईन आवेदन किया, परन्तु उक्त साईट में एरर बताने के कारण उस समय ID नहीं बनी, उसके बाद उनकी कंपनी द्वारा समय समय पर ID हेतु ऑन लाईन आवेदन किया जाता रहा। दिनांक 16.02.2023 को जब उनकी फर्म द्वारा पुनः उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया तब मालूम पड़ा कि उक्त Icegate Id पूर्व में फर्जी बनायी हुई थी, जिसमें mail id Maheshfoodagro18@gmail.com जिसमें contact Number 7983452018 थे, जो MAHESHFOODAGRO18 के नाम से बनवाई, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 01.02.2023 को हुआ था। मुलजिमान द्वारा परिवादी फर्म को केन्द्र सरकार द्वारा जो अनुदान मिलने वाला था, उसकी 59 स्क्रीप्ट थी, जिसमें से 50 स्क्रीप्ट किसी अन्य कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, जिसकी मार्केट वेल्यू 1 करोड़ 83 लाख 50 हजार 468 रुपए थी। मुलजिमान द्वारा उनकी कंपनी की फर्जी ICEGATE ID जो MAHESHFOODAGRO18 के नाम से है तथा उक्त ID बनाने में निगरानीकर्ता के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर किए तथा कंपनी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान को हड़प करने के लिए कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है।

8. निगरानीकर्ता का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता महेश एग्रोफूड इण्डस्ट्रीज के नाम से ग्वार गम व बीज के निर्यात का कार्य करता है तथा भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्द्धन योजना के तहत निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु स्क्रीप्ट जारी की जाती थी। निगरानीकर्ता के हक में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा 59 स्क्रीप्ट जारी होनी थी, जिसमें से 50 स्क्रीप्ट मुलजिमान ने निगरानीकर्ता के नाम से फर्जी फर्म बनाकर 50 उनके फर्जी खातों में ट्रांसफर की एवं उस राशि को मुलजिमान ने उनके या उनकी फर्म के खातों में ट्रांसफर किया। निगरानीकर्ता को इस तथ्य की जानकारी होने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी, जिसमें मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया एवं मुलजिमान के जमानत आवेदन विचारण न्यायालय एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1, बाड़मेर से खारिज

होने पर उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किए, तब अभियुक्तगण ने निगरानीकर्ता के हक में MOU लिखा तथा खातों में ट्रांसफर की गई राशि निगरानीकर्ता के हक में रिलीज किए जाने हेतु सहमति दी, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किए गए। निगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय में स्तुती एन्टर प्राईजेज मालिक रजनी छन्नालाल खाता संख्या 0000037084860501 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रुपए 7,22,679/– ट्रांसफर की गयी राशि रिलीज करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिस प्रार्थना–पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था। निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

9. निगरानी में गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 स्तुती एन्टर प्राइजेज जरिये मालिक रजनी छन्नालाल की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश गोयल उपस्थित हैं, जिन्होंने उसके खाते में ट्रांसफर की गई राशि निगरानीकर्ता के पक्ष में रिलीज किए जाने में आपत्ति नहीं करते हुए अपनी सहमति प्रकट की है।

10. उपरोक्त तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 स्तुती एन्टर प्राईजेज जरिये मालिक रजनी छन्नालाल के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। अन्य किसी ने उक्त राशि सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन भी पेश नही किया हैं। इसके अलावा मुलजिम कपिल गुप्ता मालिक के.के. इन्टरप्राईजेज के खाते में जमा राशि, उसके दो व्यक्तिगत खातो में जमा राशि, रोहित कुमार सालुखे व दीपक चौधरी के खातो में ट्रॉसफर की गई राशि पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2024 द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में रिलीज किये जाने के दिये जा चुके हैं। उक्त समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के खाते में ट्रांसफर की गई राशि निगरानीकर्ता के हक में रिलीज किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित होने से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

आ दे श

11. परिणामतः निगरानीकर्ता विक्रम कुमार माहेश्वरी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकर्ता के हक में गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 स्तुती एन्टर प्राईजेज जरिये मालिक रजनी छन्नालाल के खाता संख्या 0000037084860501 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा राशि रुपए 7,22,679/– जो उसके खाते में ट्रांसफर की गई थी, उक्त राशि निगरानीकर्ता 7,50,000/– रूपये का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा विद्वान् विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बाड़मेर के संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करे तो, उक्त राशि रिलीज किए जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही निगरानीकर्ता यह अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करे कि प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय यदि उक्त राशि अन्य किसी पक्षकार को अदा करने हेतु न्यायालय कोई आदेश पारित करें, उस स्थिति में निगरानीकर्ता न्यायालय के आदेश अनुसार पुनः राशि तत्समय बैंक की प्रचलित ब्याज दर सहित जमा करवाएगा।

12. इस आदेश की प्रति के साथ पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बाड़मेर को प्रेषित की जावे।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

13. आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

VINITA DHANWANI

Steno Gr. III "Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.05.01 10:51:22 +0530